कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सिरोही

क्रमांक-मुजिशिअ/सिरोही/संस्थापन/2026/ 396 दिनांक- यथा हस्ताक्षरित

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, जिला-सिरोही

विषय- शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए "विद्या संबल योजना" के सम्बंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया ।

प्रसंग- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30-03-2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित शर्तो के अधीन शिक्षण संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजन लागू की जा रही हैं । इस क्रम में पात्र अभ्यर्थियों/सेवानिवृत शिक्षकों के आवेदन सम्बंधी निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1	पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	27-08-2026	-
2	पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित (व्याख्याता, वरि.अध्यापक, अध्यापक लेवल-I/II) रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना एवं पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	29-08-2026 से 31-08-2026	(अपरान्ह 1.00 बजे तक)
3	पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करना ।	01-09-2026 से 02-09-2026	-
4	पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं पैनल सूची सीबीईओ कार्यालय में प्रेषित करना/पहुंचाना ।	03-09-2026	प्रातः11.00 बजे तक
5	सीबीईओ द्वारा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर पैनल सूची सीडीईओ कार्यालय में प्रेषित करने की अंतिम तिथि	07-09-2026	दोपहर 2.00 बजे तक
6	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि	07-09-2026	सायं 6.00 बजे

......2

Signature valid
Digitally signed by M[illegible]ndra Kumar Naniwal
Designation : [illegible] Education Officer
Date: 2026.08.[illegible]:52:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24249856
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंकभार

पद नाम	कक्षा-10	कक्षा-12	स्नातक	अधिस्नातक	प्रशैक्षणिक योग्यता (STC/B.Ed)
अध्यापक लेवल-I	30%	40%	-	-	30%
अध्यापक लेवल-II	20%	20%	30%	-	30%
वरिष्ठ अध्यापक	20%	20%	30%	-	30%
व्याख्याता	-	-	30%	40%	30%

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/पीईईओ/यूसीईईओ निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न- वित्त विभाग निर्देश प्रति

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, सिरोही

क्रमांक-मु/जिशिअ/सिरोही/संस्थापन/2026/ 396 दिनांक- यथा हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1- श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2- श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
3- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सिरोही ।
4- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद सिरोही एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति सिरोही ।
5- श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा पाली संभाग, पाली ।
6- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही
7- समस्त पीईईओ/यूसीईईओ, जिला सिरोही ।
8- कार्यालय प्रति

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, सिरोही

RajKaj Ref No.:
24249856
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Mahendra Kumar Naniwal
Designation : District Education Officer
Date: 2026.08.2[illegible]:52:46 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ....ब्लॉक ....जिला

विद्यासम्बल योजना हेतु आवेदन फार्म

1. आवेदक का पूरा नाम ....
2. पिता का नाम...
3. जन्म दिनांक ....
4. पूरा पता...
5. आवेदक का गृह जिला .... राज्य...............................
6. मोबाईल नम्बर..ई–मेल आईडी...
7. आवेदित पद ....
8. आवेदित विषय..
9. विद्यालय का नाम जिस हेतु आवेदन किया जाना है...
10. आप सेवा निवृत कार्मिक है। हां/ना
11. सेवा निवृति तिथि ....पद एवं विषय...

–:: शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता विवरण ::–

क्र. सं.	कक्षा	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत	उत्तीर्ण वर्ष
1	सेकण्डरी					
2	सीनियर सेकण्डरी					
3	स्नातक					
4	अधिस्नातक					
5	एसटीसी /बीएड					
6	अन्य					
7	विशेष					

12. स्वप्रमाणित संलग्न प्रतियो की कुल संख्या ....

हस्ताक्षर आवेदक
मय दिनाक मय समय

- -

–:: कार्यालय/विद्यालय प्राप्ति रसीद ::–

आज दिनांक ....को श्री/सुश्री/श्रीमती...द्वारा विद्या संबल योजनान्तर्गत आवेदन पत्र स्थानीय कार्यालय में कम संख्या ....पर जमा करवाया।

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान मय मोहर

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jafgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

Scanned by TapScanner
Scanned with OKEN Scanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Scanned by TapScanner
Scanned with OKEN Scanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Scanned by TapScanner
Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक...............को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैने..............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.......... के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तो को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी/कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 24116683

Scanned with OKEN Scanner